इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2011

क्रमांक 1014/म.प्र.विनिआ/2011. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (h) एवं 181 (2) (zd) सहपठित धारा 36 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 जो दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन)

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : 1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन) **{ARG-28 (I) (iii) वर्ष 2011}**" कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबधी अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. **विनियम के खण्ड 27 में संशोधन :**

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के खण्ड 27.6 में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा ।

"27.6 (द) तत्कालीन म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अंतरितियों के कार्मिकों जो पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के लिये दावेदार हैं, के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं से संबंधित खर्चों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के औसत राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये जाने हेतु विद्यमान व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2011–12 अनंतिम रूप में चालू रखी जाएगी।

(ई) वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिये पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं के उपरोक्त बिन्दु (द) में दर्शायें खर्चे टैरिफ अवधारणा हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की औसत राजस्व आवश्यकता के संबंधित वित्तीय वर्षों में अनंतिम रूप से अनुज्ञेय (pass through) किये जावेंगे ।

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, dated 28 March, 2011

No. 1014 /MPERC/2011. In exercise of powers conferred by Section 181 (2) (h) and 181(2) (zd) read with Section 36 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009 notified on 08.05.2009 :

THIRD AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TRANSMISSION TARIFF) REGULATIONS, 2009

1. Short title and commencement: 1.1 These Regulations shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009 (Third Amendment) {ARG-28 (I)(iii) of 2011}".**

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall come in force with immediate effect from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Clause 27 of the Regulation** :

In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2009**, the following shall be added in Clause 27.6, namely:-

27.6 (d) The existing arrangement of allowing expenses towards pension and other terminal benefits in respect of the personnel of all successor entities of erstwhile MPSEB/MPEB entitled for pension and other terminal benefits in the Aggregate Revenue Requirement of MP Power Transmission Company Ltd. shall continue provisionally for FY 2011-12.

(e) The above expenses at (d) towards pension liability and other terminal benefits for FY 2010-11 and FY 2011-12 shall be a pass through in the Aggregate Revenue Requirement for the purpose of determination of tariff of the MP Power Transmission Company Ltd. for the respective financial years on provisional basis.

By order of the Commission
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.